UPSR010011452026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश**,** श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द

(उच्चतर न्यायिक सेवा ID UP06538)

जमानत आवेदन संख्या- 439/2026

गोविन्द प्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रामफेरन,

निवासी–मोंगला, दा0–मल्हीपुर खुर्द, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–16/2026
धारा–80 (2), 85, 238 बी0 एन0 एस0
व धारा–3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 15.06.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **गोविन्द प्रसाद** की ओर से अपराध संख्या 16/2026, धारा 80 (2), 85, 238 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादिनी मुकदमा गौरी ने थानाध्यक्ष थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती को दिनांक 27.01.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि वादिनी ने अपनी पुत्री रीना की शादी दिनांक 26.04.2024 को विपक्षी गोविन्द प्रसाद पुत्र राम फेरन निवासी ग्राम मोंगला दा0 मल्हीपुर खुर्द थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के साथ किया था। उसकी पुत्री रीना देवी की विदाई शादी में ही हो गयी थी और वादिनी ने अपने सामर्थ के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के बाद से ही गोविन्द प्रसाद (पति), रामफेरन पुत्र चुन्नू (ससुर) व तुलसी पत्नी रामफेरन (सास), ननद नेहा पुत्री रामफेरन एवं शान्ती पुत्री रामफेरन जो सभी लोग एक ही साथ संयुक्त परिवार में निवास करते थे और एक ही साथ रहते थे। शादी में विदाई के बाद से ही वादिनी की पुत्री को मारने पीटने लगे और शारीरिक तथा

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.15 16:22:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मानसिक रूप से अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे। अतिरिक्त दहेज के रूप में बुलट मोटरसाइकिल सोने की अंगूठी व एक लाख रूपये की मॉग करते थे। इसी बात को लेकर मारते पीटते थे। अतिरिक्त दहेज की मॉग की बात वादिनी की पुत्री रीना देवी ने घर आने पर व जरिये मोबाइल कई बार सूचना देकर बतायी थी जिस पर वादिनी व घर वाले वादिनी के पति अपने पुत्री के घर गये अपने दामाद गोविन्द व अन्य विपक्षीगण को कई बार समझाया कि वादिनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक होने अतिरिक्त दहेज की मॉग पूरी कर देंगे। इसके बावजूद भी उपरोक्त विपक्षीगण वादिनी की पुत्री को आये दिन अतिरिक्त दहेज के लिये तंग परेशान करते रहते थे। दिनांक 12.01.2026 से वादिनी का अपने पुत्री से सम्पर्क टूट गया और उसकी कोई हाल खबर नहीं मिला तब वादिनी अपनी पुत्री का खोजबीन करने के लिए ग्राम मोंगला गयी तो पता चला कि वादिनी की पुत्री कहीं गायब है तब विपक्षीगणों से अपनी पुत्री के सम्बन्ध में पूछा तो कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बतायी तब वादिनी थाने गयी, थाने पर सूचना दिया तो घटना की जांच कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गयी। वादिनी को थाने की पुलिस द्वारा सूचना दी गयी कि उपरोक्त पुत्री की लाश बरूहा नाले में मिली है। वादिनी की पुत्री को विपक्षीगणों ने दहेज के लिये हत्या कर उसकी लाश फेंक दी है। लाश मिलने पर आज वादिनी सूचना देने आयी है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त एवं चार अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 80 (2), 85, 238 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। मृतका एक स्वच्छन्द किस्म की महिला थी जो आवेदक/अभियुक्त के साथ हुई शादी से खुश नहीं थी। मृतका एक पढ़ी लिखी महिला थी तथा वह एक अनपढ़ व्यक्ति था जिस कारण वह उसके साथ शादी करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसके मॉ बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती करवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टर ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि (Between injury and death can not say) का उल्लेख किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृतका के शरीर पर न तो कोई चोट के निशान थे और न ही मृतका के मृत्यु मारने पीटने से हुई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट 15 दिवस विलम्ब से लिखायी गयी है। विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है जिससे भी परिलक्षित होता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत यह

प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र फंसाने के उद्देश्य से लिखायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। मृतका की मृत्यु आवेदक/अभियुक्त के शादी के दो वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना।

6– अपराध सं0 16/2026, थाना मल्हीपुर से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों एवं पोस्टमार्टम एवं विसरा रिपोर्ट का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। मृतका की मॉ, पिता तथा चाचा ने अपने–अपने बयानों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका से मृत्यु पूर्व अतिरिक्त दहेज में बुलट मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी तथा एक लाख रूपये की की मॉग करने का कथन किया गया है। विसरा रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण आर्गेनोक्लोरो इन्सेक्टिसाइड विष पाया जाना अंकित किया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड, अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका तथा साक्षियों के केस डायरी में अंकित बयानों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त गोविन्द प्रसाद का जमानत आवेदन इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गोविन्द प्रसाद** द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 16/2026, अन्तर्गत धारा 80 (2), 85, 238 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त को इस आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती
दि0 15.06.2026